


तारीख हुक्म

मुकदमा संख्या :- 244 / 2022
सुभाषचन्द्र बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

3.12.22

तहसीलदार झुंझुनू से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम चारणवास उर्फ सुलतानसर के खाता संख्या 90 में प्रार्थी का नाम सुभाष पुत्र सुन्दाराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के सभी दस्तावेजों में सुभाषचन्द्र पुत्र सुन्दाराम है। प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से स्पष्ट है कि यह त्रुटि लिपिकीय है, जिसको दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः संलग्न रिकार्ड एवं तहसीलदार झुंझुनू की अभिशंषा के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार खाता शुद्ध करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रिपोर्ट आदेश का अभिन्न भाग रहेगी। जमाबंदी के शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23.12.22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखाद्य अधिकारी